न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –95/ 2016 जिला सीकर।

1. इन्द्राज
2. प्रहलाद
3. जगमाल
   पुत्रान पन्नाराम व भूरी देवी
4. विमला पुत्री पन्नाराम व भूरी देवी
5. फूली देवी उर्फ मनफूली पुत्री गुल्ला पत्नी मंगाराम, जाति अहीर , निवासीयान हाल ढाणी कोठी की तन , सिहाड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुंनू ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवाना
2. हनुमान
   पुत्रान गुल्ला, जाति अहीर, निवासी ढाणी पूदलावाली , तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

3. बरजी पुत्री गुल्लाराम पत्नी झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ढाणी डहराला की तन, सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुंनू ।
4. ग्रम पंचायत गोडावास जरिये सरपंच तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 8.12.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 श्री श्याम लाल अग्रवाल

निर्णय

दिनांक– 30.5.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 8.12.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खाता संख्या 10 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा (खसरा नम्बर 30 रकबा 1.54 हैक्टेयर) का खातेदार अपीलान्ट संख्या 1 से 4 की माता भूरी देवी के पिता , अपीलान्ट संख्या 5 फूली देवी एवं रेस्पोंडेन्ट्स 1 से 3 के पिता गुल्ला पुत्र जोधा अहीर था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतकरण संख्या 197 ग्रम पंचायत गोडावास द्वारा दिनांक 1.6.1962 को भगवाना, हनुमान पि. गुल्ला के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार गुल्ला की पुत्रियॅा भूरी देवी व फूली देवी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष दिनांक 19.2.2015 को प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2016 द्वारा खारिज किये जाने पर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील मृतक खातेदार गुल्ला की पुत्री भूरी के पुत्र एवं पुत्री तथा फूली पुत्री

गुल्ला द्वारा प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश व नामांतरकरण संख्या 197 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने बाबत आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत लिखित बहस में एवं अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार गुल्ला था तथा अपीलान्ट्स 1 से 4 की माता भूरी देवी व अपीलान्ट संख्या 5 फूली देवी मृतक खातेदार गुल्ला की जायन्दा पुत्रियॉ है तथा इस तथ्य से रेस्पोंडेन्ट्स भी इन्कार नहीं करते । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार गुल्ला के विधिक वारिसान की जॉच किये बिना ही तथा विधिक वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना ही मृतक की पुत्रियों को छोडते हुये केवल मृतक के पुत्रों के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया है । मृतक गुल्ला की लडकियों ने अपने अधिकार अपने भाईयों के हक में कभी भी हकत्याग नहीं किये । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी समय पर होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उनका कहना था कि नामांतरकरण के अवलोकन से ही प्रतीत होता है कि प्रश्नगत नामांतरकरण पर केवल पटवारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है जिसमें भी ओवर राईटिंग है तथा कहीं भी गिरदावर की जॉच रिपोर्ट अंकित नहीं है । उनका कहना था कि नामांतरकरण तस्दीक करने के अधिकार ग्रम पंचायत कौरम को है । प्रश्नगत नामांतरकरण पर केवल अकेले सरपंच के हस्ताक्षर है । ग्राम पंचायत कौरम की बैठक नहीं हुई न ही नामांतरकरण मजमेआम में तस्दीक हुआ । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण सरासर क्षेत्राधिकार के बाहर था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विचार नहीं किया । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी भूरी देवी का स्वर्गवास दौराने अपील हो गया था व भूरी देवी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका था तथा एक प्रार्थना पत्र फूली देवी के साथ मनफूली जोडने का एवं एक प्रार्थना पत्र बनवारी के कुंवारा फौत होने से उसका नाम हजफ करने का प्रस्तुत किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर कोई निर्णय किये बिना ही मृतक भूरी देवी के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1965 पेज 13, आर.आर.डी. 1961 पेज 162, आर.आर.डी. 1958 पेज 88 , आर.आर.डी.1991 पेज 526, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, आर.आर.डी. 1993 पेज 410, 411, आर.आर.डी. 1995 पेज 668, आर.आर. डी. 1992 पेज 671, आर.आर.डी. 1992 पेज 21, आर.आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर. डी. 1992 पेज 173, आर.आर.डी. 1992 पेज 239, आर.आर.डी. 1992 पेज 337, आर. आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर.आर.टी. 2012 पेज 1267, आर.आर.डी. 1984 पेज 882, आर.आर.डी. 1985 पेज 564, आर.आर.डी. 1992 पेज 634, आर.आर.डी. 1987 पेज 140, आर.आर.डी. 1994 पेज 85,आर.आर.डी.1969 पेज 298, आर.आर.डी. 1987 पेज 291, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 766, आर.आर.डी. 1965 पेज 153, 2016 (1) आर.आर.टी. 371, 2016 (1) आर.आर.टी. 374, 2017 (2) आर.आर.टी. 1104, 2017 (2) आर.आर.टी. 1401, 2017(2) आर.आर.टी. 1406 सुप्रिम कोर्ट के निर्णय दिनांक 1 फरवरी, 2018 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक खातेदार गुल्ला की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 197 दिनांक 1.6.62 को ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के पुत्रान भगवाना व हनुमान के नाम तस्दीक किया था जिसके खिलाफ भूरी देवी द्वारा अपील दिनांक 19.2.15 को अर्थात 53 वर्ष के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि विवादित भूमि के खातेदार गुल्ला की मृत्यु संवत 2002 यानी 1945 में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही हो चुकी थी ओर उसके 17 वर्ष बाद प्रश्नगत नामांतरकरण भरा गया था । अपीलान्ट्स की माता भूरी पुत्री गुल्ला की शादी गुल्ला ने अपने जीवनकाल में ही करदी थी । विवादित भूमि के संबंध में करीबन 10 वर्ष पूर्व रेस्पोंडेन्ट हनुमान व भगवाना में मुकदमेबाजी चली थी ओर थाने में अपीलान्ट्स की माता भूरी देवी द्वारा भगवाना के पक्ष में बयान दिये थे तथा रेकार्ड की जानकारी होने की बात बतायी गयी थी । इस प्रकार प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान अपीलान्ट्स की माता भूरी देवी को प्रारम्भ से ही था । उनका कहना था कि गुल्ला की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही मृतक के पुत्रों के नाम भूमि आ चुकी थी तथा गुल्ला की मृत्यु के समय पुत्रियों का सम्पत्ति में कोई हक नहीं था न ही होने का कोई कानून था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की है , जो उचित एवं विधि सम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी. 2014–15 (सप्लीमेन्ट) पेज 441, 2015 (1) आर.आर.टी. 168, 2015 (1) आर. आर.टी. 265, 2015 (1) आर.आर.टी. 232, 2015 (1) आर.आर.टी. 236, आर.आर.डी. 1986 पेज 590, आर.आर.डी. 1975 पेज 236, आर.आर.डी. 1990 पेज 479, आर.आर. टी. 2013 पेज 1054, 2016 आर.आर.टी.' (2) पेज 1139, 2012 (1) आर.आर.टी. 350, 2012 (1) आर.आर.टी. 358, 2015 (1) आर.आर.टी. 369 की ओर न्यायालय ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गुल्ला की विरासत के नामांतरकरण का है जो ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के दो पुत्र भगवाना व हनुमान के नाम तस्दीक किया है तथा मृतक की पुत्रयॉ भूरी व फूली देवी को नामांतरकरण में छोड दिया गया जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 53 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2016 द्वारा खारिज की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स ने प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 197 दिनांक 1.6.1962 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19.2.2015 को अर्थात 53 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की थी , जो निराशाजनक रूप से विलम्बित थी। इतने लम्बे अन्तराल तक पुत्रियों को अपने पिता की विरासत के नामांतरकरण का ज्ञान नहीं होना , मानने योग्य नहीं है । समयावधी संबंधी प्रावधान भी विधि के महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनकी पालना किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मियाद बाहर मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण में अपीलान्ट मृतक खातेदार गुल्ला की मृत्यु वर्ष 1960 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद होना तथा रेस्पोंडेन्ट मृतक खातेदार

गुल्ला की मृत्यु वर्ष 1945 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व ही होना बताते हैं, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रहें हैं । चूंकि नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उपरोक्त विवादक का निस्तारण नहीं होकर साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमित वाद के माध्यम से ही हो सकता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.12.2016 से अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 30.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर